



कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद – हरदोई

संख्या / | २ । । / न०पा०परि०बि० / १५वॉवि०आ० / नि०सू० / २२-२३

दिनॉक- 17 - 11 - 2022

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई—टेण्डरिंग के अन्तंगत जनपद हरदोई के न0पा0परि0बिलगाम में ठेकेदारों /फर्मों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021—22 में 15वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्त्तगत बुनियादी अनुदान (Untied Grant) एवं निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) धनराशि से पनी में अपनित्त अपने के प्रतिवाद मल्य पीत्रान्तवीत के से सूची में अंकित निम्न कार्यो हेतु ई—ट्रेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची में अंकित निम्न कार्यो हेतु ई—ट्रेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची में अंकित निम्न कार्यो हेतु ई—ट्रेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची में अंकित निम्न कार्यो हेतु ई—ट्रेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची में अंकित निम्न कार्यो हेतु ई—ट्रेण्डर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खुची के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के अनुसार खाता संख्या ४१०५००२१००००११३९ आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0410500 में आर0टी०जी०एस० या नगद जमा किया जाये।

आर0टी0	जी०एस०/नगद निविदा मूल्य न जमा करने पर निविदा निरस्त समझा जायना	21-11-2022 11:01 M
(A)	इ—प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रकाशन तिथि व सनव	
(B)	वेबसाइट पर आनलाइन निविदा डाउनलोड प्रारम्भ की तिथि व समय	47
(C)	ई—प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा डालने की अंतिम तिथि व समय	30-11-2022 5:00 PM
(D)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	01-12-2022 1:00 PM
` .		तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के
(E)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	पश्चात निर्धारित की जायेगी।
(E)	ई–निविदा खोलने का स्थान	अपर जिला मजिस्ट्रेट/ प्रभारी
(F)	इ—ानावदा खालन का स्थान	अधिकारी (स्था0नि0) एवं कार्यालय
		न०पा०परि० बिलग्राम

कार्य विवरण निम्नवतः-कार्य की निविदा मूल्य + धरोहर धनराशि आगणन क0सं0 कार्य का नाम अवधि (५ प्रतिशत) 18%जी0एस0टी0 धनराशि सहित 5 6 4 3 15वॉ वित्त आयोग योजनार्न्तगत। वार्ड सं0 25 मो0 सुल्हाडा में हुजूर मियां के प्लाट 1060=00 01 माह से हनुमंत्र नेत्र चिकित्सालय तक रोड के बांयी ओर 8,78,405=00 43,920=00 1 आर०सी०सी० नाली व कवर डालने का कार्य। नगर पालिका परिषद बिलग्राम में मोहल्ला ऊपरकोट 01 माह 1350=00 13,14,316=00 65,715=00 2. के बारात घर में टीनशेड का कार्य। नगर पालिका परिषद बिलग्राम में मेा० कासूपेट वार्ड नं0 10 में मूर्विंग बेड बायो रियेक्टर / फ्लूडाइज्ड 38,40,165=00 एरोबिक बायों रियेक्टर के आधार पर बायों कम्पोस्ट 1,92,008=00 4550=00 01 माह 3. . सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु टैंक व शेड केनिर्माण कार्य। (सिविल वर्क)। नगर पालिका परिषद बिलग्राम में मेा० कासूपेट वार्ड नं0 10 में सीवेज / वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने 39,71,192=00 4. 1,98,560=00 4700=00 01 माह हेतु इलेक्ट्रो- मैकेनिकल प्लांट की स्थापना का कार्य।(इलेक्ट्रो भैकेनिकल वर्क)।

कृपया अवलोकन कर प्रकाशन हेतु समाचार पत्र एवे।तिथि निर्धारित कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। शेष नियम व शर्ते www.etender.ur नंद निया जा सकती हैं।

> (मुकेश कुमार निर्माम) अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद बिलग्राम – हरदोई

वरिष्ठ लिंपिक

नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई

(हबीब अहमद 👌

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई

संख्या एंव दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि-1. जिला म्जिस्ट्रेट महोदय हरदोई।

2. सम्पादक <u>ो ि अ अहा अ ्रिया जिया जि</u>समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि न्यूनतम आकार में शासकीय विज्ञापन दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3. उप जिलाधिकारी महोदय, बिलग्राम।

4. पालिका के नोटिस बोर्ड, website - www.bilgramnpp.in एंव गार्ड फाइल पर चस्पा हेत्।

नियम व शर्ते-

विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई में श्री रूपेश खन्ना लिपिक एवं श्री सिद्वार्थ प्रभाकन अपन सिद्वार्थ प्रभाकर अवर अभियन्ता न्वणावपिरिव बिलग्राम हरदोई से प्राप्त की जा सकती है तथा फर्म/ठेकेदार निविदा अपलोड करने से पर्व सम्बन्ध आगणन से 15 प्रतिशत से अधिक दर की निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से 10 प्रतिशत कम की निविदा हेत अविश्वित से अधिक दर की निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से 10 प्रतिशत जमानत धनराशि निविदा हेत अविश्वित

निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 0.5 प्रतिशत एंव 10 से 15 प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 1 प्रतिशत प्राप्त प्राप्त प्राप्त कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 1 प्रतिशत प्राप्त प्राप्त प्राप्त कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 2.

भुगतान कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपन्ति कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपन्ति कार्य की करोती करके भगनान कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा नियमानुसार आयकर/जी०एस०टी० आदि सभी करों की कटौती करके भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा उपयोगिता अवधि प्राप्त होने पर भुगतान पर विचार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के 3,

निविदा के साथ 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य नगर पालिका परिषद् बिलग्राम की बैंक पी०एन०बी० खाता खं 4105002100000139 आई0एफ0एस0सी कोड PUNB04105000 में ऑन लाइन आदि माध्यम से जमा 4. करना अनिवार्य होगा। जिसकी रसीद कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम से प्राप्त की जायेगी। अन्तिम भुगतान से 05 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, जमा कुल जमानत धनराशि वापस की जायेगी तथा पाँच

वर्ष तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सफलता प्राप्त फर्म/ठेकेदार की होगी। टेण्डर दाताओं को टेण्डर के समय निम्न प्रपन्न ई टेण्डर में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कापी में भी समस्त 5.

6. अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा का प्रपत्र। В.
- चरित्र प्रमाण पत्र। C.
- हैसियत प्रमाण पत्र। D.
- E.

मशीनरी उपलब्धता, टेक्निकल स्टाफ एवं निकाय में किसी सगे सम्बन्धी या परिवार के किसी व्यक्ति के कार्य न करने का नोटरी कराकर शपथ पत्र।

- आयकर विभाग का वार्षिक क्लीयरेंश प्रमाण पत्र।
- अनुभव प्रमाण पत्र।

श्रमं विभाग का पंजीरकण। I.

जी०एस०टी० प्रमाण पत्र वर्तमान में सकिय। उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं है, तो उसे नगर पालिका में निविदा सफलता के पश्चात पंजीकरण शर्तों के अधीन 10 दिन के अन्दर नगर विकास से निर्गत शासनादेश के क्रम में कराना अनिवार्य होगा साथ ही शासन/निदेशक उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेशों/निदेशक के पत्र सं0 तक0सेल / 07 / निदे0 / 2019 दिनांक 28 जून 2019 के अनुकूल कार्य विभिन्न श्रेणियों के अधीन कार्यो प्राप्त किये जा सकते हैं। उस श्रेणी के अतिरिक्त यदि निविदा डाली जाती है तो स्वतः निरस्त मानी जायेगी, एवं ऐसे ठेकेदार/फर्म को कार्य स्वीकृत किया जाता है जिसका पंजीयन निकाय में नहीं है तो शासनादेश सं0 3890 / नौ-5-19-149सा / 2019 दिनांक 20 सितम्बर 2019 के क्रम में ई-निविदा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात निकाय में पंजीकरण शर्तों के अधीन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासनादेश www.etender.up.nic.in पर अपलोड है।

स्वीकृत फर्म को कार्य से पूर्व कार्य स्थल की, कार्य के दौरान, कार्य के अंत में फोटोग्राफ, कार्यालय लिपिक या सम्बन्धित 7.

अवर अभियन्ता के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुरूप प्रत्येक कार्य का अनुबन्धनामा एवं नोटरी शपथ पत्र एवं समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य है।

टेण्डर तकनीकी अधिकारी की देख रेख में खोले जायेगें, एवं टेण्डरों का परीक्षण भी तकनीकी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, तकनीकी अधिकारी की लिखित संतुष्टता के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि भविष्य में कोई चूक पायी

जाती है, तो उसके लिए तकनीकी अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होगें।

सफलता प्राप्त फर्म को कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यस्थल पर 1X1.5 मीटर का डिस्प्रेलबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा दिस पर 10. योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख

निविदा खुलने के समय ठेकेदार / फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त

यदि किसी फर्म द्वारा कार्य किया जाता है तो पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

एकल / सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी साथ ही स्वीकृत फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य स्वीकृत के पश्चात यदि कार्य हस्तांतरित 12. किये जाने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही, काला सूची में डाला जाने हेत समस्त विभागों में किये जाने हेत संस्चित किया जायेगा। पारदर्शिता प्रतियोगिता की दृष्टि से न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त होनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में टेण्डर निरस्त किया जायेगा ।

टेण्डर फार्म पर टेण्डर रेट (दरें) कम या अधिक प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की

कटिंग / ओवर राइटिंग मान्य नही होगी।

कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेंदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रू 500.00 प्रतिदिन हो सकता है दो सप्ताह पश्चात कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा बन्धित फर्म के विरूद्ध शासकीय कार्य में जानबूझ कर

व्यवधान, शिथलता/ उदासानता पाया जाता ह ता उसक विकद सम्बन्धत पुलिस थान म प्राथामका दज करात हुए ब्लक

नामित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल)/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना सींग्रिएण्ड0डीग्रिस्त जनपद हरदोई के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त करना अनिवार भगतान किया जायेगा। 15.

प्रयुक्त इंटरलाकिंग, अन्य प्रयुक्त सामग्री का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया शासनाटेण राग्य शासनादेश संख्या :- 609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26/02/2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत

बिना कारण बताएं एक टेण्डर या सभी टेण्डरों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। नगर पालिका निर्माण नियमावली/लोक निर्माण विभाग की नियमावली, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पालन 17.

राज्य मिशन निदेशक (एस०बी०एम०) राज्य मिशन निदेशालय उ०प्र०/सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स 2016 की समस्त शर्ते ठेकेदार /फर्म को मान्य करना अनिवार्य होगा तथा एम०आर०एफ० का निर्माण् शासनादेश सं० पी.एम.यू. / 2561 / 427(6) 2019 लखनऊ दिनांक:—13.08.2019 में दिये गये मानकीकृत ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी 18. विस्तृतं जानकारी निकाय के अवर अभियन्ता व् सी०एण्ड डी०एस० के अभियता के मागदर्शन व दिशा—निर्देशों अनुसार कराना अनिवार्य होगा। मानकीकृत ड्राइंग/डिजाइन के विचलन होने पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

शासनादेश संख्या 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून 2021 (SOP) में दिए गए मार्गदर्शी (सिद्धान्तों के अनुरूप ठेकेदार/फर्म को कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। मागदर्शना व दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य न होने पर भुगतान किया

जाना सम्भव

(रूपेश खन्ना) वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका परिषद बिलग्राम - हरदोई

(मुकेश क्मार नि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई